राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 626वीं बैठक दिनांक 02/03/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. <u>Case No 9144/2022 M/s Kisan Exports, Khedia Bhawan, P.O. Bijuri, Tehsil - Kotma, Dist. Anuppur, MP - 484440 Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 10.926 ha. (Granite Block – 10,011 cum per annum, Saleable Stone Waste - 56727 cum per annum) (Khasra No. 1578, 1579, 1583/1/2, 2074), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)</u>

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1578, 1579, 1583/1/2, 2074), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 10.926 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 570वीं दिनांक 11/05/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद कुमार खेडिया (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण—पूर्वी दिशा में 100 मीटर पर रिहायशी मकान/आबादी दिख रही है तथा लीज क्षेत्र के बीचोबीच से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी के कारण प्रस्तुतीकरण में 150 मीटर का सेट बेक छोडा गया है तथा

कच्चा रास्ता हॉलेज रोड़ है। आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 235 मीटर तथा दक्षिण-पूर्व दिशा में 430 मीटर पर तालाबा है अतः इनके संरक्षण हेतु गारेलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में कई पेड है जिसके संदर्भ में बताया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र कुल 45 पेड़ लगे है जिसमें से 12 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है तथा उनके एवज् में 120 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे तथा बचे हुए 33 पेड़ संरक्षित किये जायेगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में ब्लास्टिंग सिर्फ ओ.बी. हटाने हेत् की जायेगी तथा उत्पादन हेत् वॉयर-सॉ मेंथड का उपयोग किया जायेगा । इस खदान की जनसूनवाई के दौरान आपत्तियाँ जैसे आबादी, देवी देवताओं का स्थान, आराजी जमीन-कई पेड़-पौधें लगे है, 05 तालाबों से लगी जमीन इत्यादि प्राप्त हुए है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी के कारण खनन क्षेत्र में 150 मीटर का सेट बेक छोड़ा गया है, तालाबों के संरक्षण हेतू गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये है, तहसीलदार के पत्र क्रमांक 659 दिनांक 07/12/22 में उल्लेखित मोका पंचनामा के अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र कोई देव स्थान व शमशान नहीं है तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट ब्लॉक 10,011 मी³ प्रति वर्ष एवं सेलेबल स्टोन वेस्ट — 56,727 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 31.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.86 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम के माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रिंसिपल या हेडमास्टर के परामर्श से विज्ञान सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी ।	10,000
ग्राम में एवं नजदीक स्थित तालाबों का गहरीकरण करा जावेगा एवं वृक्षारोपण।	60,000
ग्राम में स्थित मंदिर की पुताई एवं मरम्मत का कार्य करवाया जावेगा साथ ही में मंदिर जरूरत के हिसाब से अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी	50,000
गांव के लोगों के लिए हर छह छह माह में स्वास्थ शिविर कैंप का आयोजन किया जायेगा ।	50,000
चोलना गांव के खेल मैदान का समतलीकरण कर खेल सामग्री का वितरण किया जायेगा	30,000
योग	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 13,300 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	अचार, चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, महुआ बरगद, करंज आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4000
	उत्खनिपट्टा में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	नीम, महुआ आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	चिरोल, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, सप्तपर्णी, जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, कदम आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	खेल का मैदान में वृक्षारोपण	आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
4	ग्राम में स्थित 5 तालाबों में वृक्षारोपण	बरगद, पीपल, करंज, जामुन, कहवा आदि। आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
5	शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
6	पोंडी के सरकारी स्कूल में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
7	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल मुनगा आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	6400
		कुल वृक्षारोपण	13,300

2. Case No 9075/2022 URMILA AGRAWAL, Owner, 82 Arvind Nagar, Aagar Road Ujjain, District Ujjain (MP) Prior Environment Clearance for Stone (Gitty) & M-sand Quarry in an area of 1.90 ha. (Stone Gitti-2105 m3/year and M Sand 40000 m3/year) (Khasra No. No. 821/1/2, 821/1/3, 821/3, 822), village Undasa Tehsil Ujjain District Ujjain (M.P.) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)

This is case of Stone (Gitty) & M-sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. No. 821/1/2, 821/1/3, 821/3, 822), village Undasa Tehsil Ujjain District Ujjain (M.P.) 1.90Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 561वीं दिनांक 21/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 02 / 03 / 23 को परियोजना प्रस्तावक श्री उर्मिला अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान के आक्षांश—देशांश अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आक्षांश-देशांश के अनुरूप नही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा जो आक्षांश-देशांश प्रस्तुतीकरण में दिये गये है वे अनुमोदित खनन् योजना के है अतः उन्हे मान्य किया जाये । समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन् योजना के जो आक्षांश—देशांश प्रस्तुत किये गये है उनका प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा नही किया गया जो आवश्यक है क्योंकि वे सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न है जिसमें समस्त अंक्षाश–देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया है । अतः समिति की अनुशंसा है कि यह तथ्य सिया के संज्ञान में लाया जाये कि कई प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश-देशांश सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप नही उनमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश—देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराने के पश्चात् ही प्रकरण का परीक्षण किया जाना उचित होगा तथा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक उनके द्वारा प्रस्तुत आक्षांश-देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराकर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे एवं यह प्रकरण नीति निर्धारण हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये ।

3. <u>Case No. – 7669/2020 Mod. Asif Khan S/o Mr. Abdul Khan, Village- Berkhedi Tunda, Post- Berkhedi Choraha, Tehsil & DIst. Raisen, MP – 454651 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 7.17 ha. (11930 cum per annum) (Khasra No. 198), Village - Khoha, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen (MP)</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 198), Village - Khoha, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen (MP) 7.17 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 461वीं दिनांक 29/09/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आसिफ खान और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 500 मीटर तथा दक्षिण—पूर्वी दिशा में खदान से लगी हुई आबादी है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर भी 04 से 05 मकान/शेड स्थापित है, जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरूम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं तथा खनन् क्षेत्र के निकटतम

आबादी से 100 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी दिशा में 240 मीटर दूरी पर पक्का रोड़, उत्तर दिशा में 320 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर शमशान घाट है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि शमशान के कारण 40 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पास में कार्यरत 01 अन्य खदान की हॉलेज रोड है फिर भी उनके द्वारा 10 मीटर का सेट बेक (7.5 मीटर के बैरियर जोन को शामिल करते हुए) प्रस्तुतकरण में प्रस्तावित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उपरोक्त सभी सेट बेंक छोड़ने के पश्चात् स्वीकृत खनन् क्षेत्र 7.17 हे. में से लगभग 3.0 हे. खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो स्वीकृत उत्पादन क्षमता मुरूम —11,930 मी³ प्रति वर्ष हेतु पर्याप्त होगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो भी नॉन माईनिंग क्षेत्र छोडा गया है उसमें वृक्षारोपण तथा ग्रेजिंग लेंड विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा स्कूल में बिजली एवं फर्नीचर की व्यवस्था, स्कूल भूमि का समतलीकरण, धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय, वृक्षारोपण इत्यादि प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. रसी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेत् ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सडक पर लगातार जल छिडकाव किया जायेगा । जनसूनवाई के दौरान आवंटित खनन क्षेत्र में देव स्थान के बारे में भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खजिन अधिकारी रायसेन अपने पत्र कमांक 544 दिनांक 23 / 5 / 22 के द्वारा यह सूचित है कि देव स्थान खसरा क्रमांक 201 में है 198 में नहीं । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1056 दिनांक 14/09/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा आवेदन में संपूर्ण स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन **ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुक्तम —11,930 मी³ प्रति वर्ष ।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.80लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
Furniture (one bench set) for school.	10,000
Levelling of a school playground	10,000
Plantation & maintenance in the nearby cremation ground (30 trees) neem,peepal & Bargad	5,000
योग	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5820 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Location	Name of Plants	No. of plants
Barrier Zone	Sisso, Neem,Karanj,Jungle Jalebi, Khamer,Chirol,Khamer etc.	2200
Approach road (Minimum Height 1 m)	Kadam, Chirol, Kachnar, Neem, peeple and others	600
Distribution in villagers	Mango,Munaga, custard apple, jamun,Amrud etc.	1450
NON mining Zone Grazing Land Development (5 X 5 m)	Fodder plants to be grown e.g Anjan,Sahjan etc.	4000
Implementation agency	: Through DFO/competent agency /Gram Panchayat	Total: 8520 No.

4. प्रकरण क्रमांक 9042/2022 - श्री के.के. गौतम, लीज ओनर, पुरानी वस्ती जलपा देवी वार्ड, गौतम लेन, जिला कटनी (म.प्र.) लाईम स्टोन माईन, खसरा नं. 15/1पार्ट, रकबा 06.104 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं वेस्ट - 1,97,440 टन/वर्ष ग्राम भतोरा तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्राप्त यह प्रकरण लाईन स्टोन उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 15/1 पार्ट, रकबा 6.104 हेक्टेयर, ग्राम भटूरा तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02 / 03 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की पूर्व की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/2023 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोंडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार आवेदित क्षेत्र के अंदर कुछ भाग तक वन क्षेत्र आ रहा है, जबिक प्रकरण के साथ अपलोडेड कार्यालय कलेक्टर जिला सतना के पत्र क्मांक 1209 दिनांक 13/04/18 के अनुसार खिनज पट्टा वन सीमा से 50 मीटर से अधिक दूरी पर है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्मांक एफ—5/16/81/10—3 दिनांक 07/10/02 अनुसार वन क्षेत्र से 250 मीटर की परिधि के अंदर आने वाले उत्खनन् पट्टो पर सिमित से अनुमोदन कराने के प्रावधान पूर्व से स्वीकृत खदानों पर लागू नहीं होंगे । परियोजना प्रस्तावक ने सिमित को अवगत कराया कि पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों पर सिया द्वारा उनके 77वीं बैठक दिनांक 07/01/12 में यह नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि 2002 के पूर्व से स्वीकृत ऐसी खदानें जो 250 मीटर वन क्षेत्र में है उनको संभागीय सिमित से अनुमोदन प्राप्त नहीं करना है । सिमित ने चर्चा कर निर्णय लिया कि सेक की आगामी बैठक में उपरोक्त नीतिगत निर्णय से संबंधित कार्यवाही विवरण सिमित के समक्ष प्रस्तुत किए जाये तािक उनका अवलोकन कर निर्णय लिया जा सके एवं तत्पश्चात इस प्रकरण पर निर्णय जाये।

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री श्री के.के. गौतम, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ. प्र. उपस्थित हुए । समिति द्वारा बैठक के दौरान सेक की पूर्व की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/2023 में की गई अनुशंसाओ का अवलोकन किया तथा पाया कि सिया द्वारा उनके 77वीं बैठक दिनांक 07/01/12 में यह नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि 2002 के पूर्व से स्वीकृत ऐसी खदानें जो 250 मीटर वन क्षेत्र में है उनको संभागीय समिति से अनुमोदन प्राप्त नहीं करना है अतः उसी के आधार पर प्रकरणो का एप्राईजल किया जाये। समिति ने यह भी पाया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी के पत्र क्रमांक 11909 दिनांक 15/11/17 जिस पर डी.एफ.ओ. ने भी संतुष्टी दी है कि इस क्षेत्र में खनन् करने से उन्हे कोई आपत्ति नहीं है । चूंकि आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में पहाड़ है अतः रन ऑफ मेंनेजमेंट हेतु परियोजना प्रस्तावक केच ड्रेन्स के माध्यम से उसे चेनेलाईज करे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है तथा 01 माइंड आउटिपट, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान 1981 में स्वीकृत हुई थी जिसमें खनन् कार्य 2011 तक किया गया था एवं उसके पश्चात् से खदान् बंद है जिसका पिट आवंटित खनन्

क्षेत्र में दृष्टिगत हो रहा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के पूर्व पिट में भरे पानी को पंप की सहायता से निस्तारित किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान स्कूल में समय—समय पर हेल्थ केम्प लगाये जायें एंव स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर दिये जायें। भारी ब्लास्टिंग की जगह छोटी ब्लास्टिंग की जाये जिससे आस—पास के क्षेत्र प्रभावित न हो इत्यादि प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. / सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल नोनेल ब्लास्टिंग प्रस्तावित की गई है तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं वेस्ट 1,97,440
 टन / वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.98 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 06.62 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.मे)
ग्राम भटूरा और प्राथमिक विद्यालय में वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था	70,000 / -
ग्राम भटूरा के प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर, प्रिंटर तथा कंप्यूटर टेबल की व्यवस्था की जाएगी	70,000 / -
ग्राम भटूरा कें पंचायत कें परामर्श से हैंड पंप व उसके चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा ।	60,000 / -
योग	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 7500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
	नियंत स्थान		(संख्या में)

1	बैरियर जोन (तीन लाईनों में वृक्षारोपण किया जायेगा।)	कस्टार, सिस्सू, शीशम, खमेर पाकड़, देसी बांसए चिरौल, आवंला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	सिस्सू, नीम, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	100
3	ग्राम भटूरा, आमरिया , भटेवारा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, सीताफल मुनगा, करौंदा, अमरूदए नीबू इत्यादि।	3040
4	शासकीय विद्यालय आमरिया में	अशोक, नीम, कचनार, पुतरंजीवए कदम्बए इत्यादि।	10
5	माइन लीज व वन सीमा के बीच 50मीटर के बफर जोन में	कस्टार, सिस्सू, शीशम, खमेरए पाकड़, देसी बांसए चिरौल, आवंलाएनीम, चिरौल, बरगद, कंरज इत्यादि।	3150
		कुल	7500

5. Case No 8864/2021 M/s Bajrang Granite Stone Works, Authorized Person Shri Bhupendra Prajapati, Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.80 ha. (55,100 Cum per annum) (Khasra No. 463/2/2), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Env. Consultant M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 463/2/2), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 2.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 539वीं दिनांक 07 / 01 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेंद्र प्रजापित के अधिकृत प्रतिनिधि डॉ कृष्णकांत प्रजापित और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री राहुल यादव, मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि सिया के पत्र क्रमांक 3036 दिनांक 10/02/22 के द्वारा टॉर स्टोन — 70,723 घनमीटर/वर्ष का जारी हुआ है और इसी मात्रा की जन सुनवाई भी सम्पन्न हुई है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पुनरीक्षित खनन् योजना में स्टोन—55100 घनमीटर / वर्ष है जो

रॉक ब्रेकर माईनिंग मेथड पर आधारित है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जमा करा दिया गया है। अतः उनको उत्पादन क्षमता स्टोन – 55100 घनमीटर / वर्ष के लिए ई.सी. दी जाये । प्रस्तृतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान से पूर्व दिशा मे लगभग 51 मी०. की दूरी पर आबादी, उत्तर दिशा में 157 मी. में पक्की रोड एंव कुछ मकान दिख रहे तथा पूर्व दिशा मे 88 मी. पर एक तालाब है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में आबादी के कारण 50 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में दिया गया है एवं तालाब के संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है। आवंटित खनन् क्षेत्र से कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हॉलेज रोड है जो आस-पास की खदानों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है । जब हमारी खदान में कार्य शुरू होगा तो वह अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करेगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसूनवाई के दौरान ग्लास्टिंग से पश्ओं / गांव के लोगो द्वारा नुकसान होने संबंधी मुद्दे उठाये गये थे किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनरिक्षित माईनिंग प्लान जो कि रॉक ब्रेकर माईनिंग मेथड पर आधारित है। स्टोन कशर से धूल आदि की समस्या के निदान हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त दिये गये है, और इनको ई.एम.पी. /सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सडक पर लगातार जल छिडकाव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. -117 के सरल कमांक-55 पर दर्ज है किंतु डी.एस.आर. में अक्षांश-देशांस नही दिये गये तथा खसरा नंबर भी गलत लिखा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि डी.एस.आर. में जो लीज स्वीकृति आदेश उल्लेखित किया गया है (पत्र क्रमांक 1757 दिनांक 11/9/20) उसमें सही खसरा नंबर 463 / 2 / 2 उल्लेखित है अतः इसे मान्य किये जाने का अनुरोध है एवं चूंकि डी.एस.आर. में अक्षांश-देशांस नही दिये गये है अतः माईन प्लान के अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 55,100 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.04 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू.—— लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
तहसील— गौरीहार , जिला— छतरपुर, (म.प्र.) के शासकीय चिकित्सालय में जरूरत अनुसार 2 — मेडिकल बेड, 2े — व्हीलचेयर, 10 — कुर्सी, की व्यवस्था तथा जनरल जांच हेतु बीपी नापने की 2 — मशीन, वजन नापने की 1. मशीन, एवं शुगर नापने की 2 — मशीन की व्यवस्था	1,00,000

ग्राम पंचायत घटहरी के प्राथमिक विद्यालय में 30 बेंच 10 कुर्सी 2 टेबल की व्यवस्था एवं स्कूल की मरम्मत का कार्य एवं रंगाई — पुताई	75,000
योग	1,75,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3420 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई ०१ मीटर)	खमेरः चिरोलः सप्तपर्णीः अचारः करंजः जंगल जलेबीः कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1060
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत घटहरी)	नीम [,] आम [,] कटहल [,] बेर [,] आँवला [,] हर्रा [,] सीताफल [,] महुआ [,] नींबू [,] अचार [,] बहेरा [,] बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	660
4	ग्राम पंचायत घटहरी के प्राथमिक शालाग् आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	आँवला [,] कदम [,] सप्तपर्णी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		কুল	3420

6. <u>Case No 9587/2023 Shri Jitendra Kumar Sharma S/o Shri Rameshwar Dayal Sharma, R/o Village-Sehadpur, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP)-476229, Prior Environment Clearance for Sehadpur Soil Quarry in an area of 1.170 ha. (3,600 cum per annum) (Khasra No. 543), Village-Sehadpur, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP)</u>

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 543), Village-Sehadpur, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP) 1.170 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 1002 दिनांक 19/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार आवंटित खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 64 मीटर पर एंव उत्तर-पूर्व में 230 मी. पर पक्का रोड तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 85 मीटर, 108 मी. एंव उत्तर-पूर्व दिशा में 450 मी. पर एक-दो मकान दिखाई दे रहे है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ड्रिलिंग ब्लास्टिंक प्रस्तावित नहीं है, खनन कार्य अधिकतम 02 मीटर की गहराई तक किया जायेगा एवं आवंटित खनन क्षेत्र में क्लिन की स्थापना नहीं की जायेगी । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 19/09/2022 में उल्लेख अनुसार प्रस्तावित खदान नवीन डी.एस. आर. में जोड दी जावेगी चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वाईल 3600 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.06 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.54 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
आंगनवाड़ी में एक झूला एवं एक फिसल पट्टी को लगाया जाएगा, एवं स्कूल बांउड्री के	54,000/-
चारो तरफ पेड-पौधे लगाए जाऐगें।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1450 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
-----	--	---------------------	--------------------

1	बैरियर जोन मे	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	850
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
		कुल	1450

7. <u>Case No 9665/2023 Shri Yash Trivedi S/o Shri Kamal Kishore Trivedi, R/o Sugar Mill Marg, Tehsil-Mahidpur, District-Ujjain (MP)-456001 Prior Environment Clearance for Delchibujurg Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (50,000 Cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village-Delchibujurg, Tehsil-Mahidpur, District-Ujjain (MP)</u>

This is case of Stone (Gitti) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village-Delchibujurg, Tehsil-Mahidpur, District-Ujjain (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री यश त्रिवेदी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मे0. अपेक्स माईनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 569 दिनांक 18/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण 14,535 घनमीटर / वर्ष से 50,000 घनमीटर / वर्ष की क्षमता विस्तार हेतु है, जिस बावत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन पत्र दिनांक 12/12/22 के माध्यम से जारी किया गया है जारी किया गया जिसमें कोई भी नॉन कंपलाइंस सूचित नहीं किया गया है । सिमति ने पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया तथा पाया कि यह प्रकरण मान्नीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 07/12/22 के अनुसार री—एप्राईजल के साथ—साथ क्षमता विस्तार के रूप में एप्राइज किया जा रहा है । सिमति ने पाया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन पत्र दिनांक 12/12/22 में वृक्षारोपण की शर्तो का पार्शियल कंपलाइंस दिखाया गया है जिस हेतु सिमति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक 200 अतिरिक्त पौधो का वृक्षारोपण आगामी एक माह में आवंटित खनन् क्षेत्र/परिवहन मार्ग में करे या ग्रामीण को वितरित करे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार आवंटित

खदान के पूर्व दिशा में 10 मीटर पर एंव दक्षिण—पश्चिम दिशा में 367 मीटर पर पक्का रोड तथा पश्चिम दिशा में 15 मी. की दूरी पर एक हॉलेज रोड़, दिक्षण—पश्चिम दिशा में एक बडा शेड लगभग 116 मीटर पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में 10 मीटर पर स्थित पक्का रोड़ के कारण 50 मीटर का सेटबैक तथा खनन् रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा का शपथ—पत्र प्रस्तुतीकरण में दिया गया है तथा समीप में जो शेड स्थित है वह उद्योगिक शेड़ है। लीज का उत्तरी एंव मध्य भाग पूर्णतः खुदा हुआ है जिस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण 14,535 घनमीटर / वर्ष से 50,000 घनमीटर / वर्ष की क्षमता विस्तार हेतु है तथा पिट पुराने खनन् गतिविधियों के कारण निर्मित हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—07 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 50,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.30 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.86 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
आंगनवाड़ी केंद्र डेलचिबुजुर्ग में रसोईघर का निर्माण किया जायेगा	1,80,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2600 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	250
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	500
3	पट्टा क्षेत्र के बाहर पूर्व दिशा में पक्की रोड के ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	200
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1650
		कुल	2600

8. <u>Case No 9666/2023 Shri Santosh Thakur S/o Shri Rameshwar Thakur R/o Village-</u>
<u>Tarapur, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)-454001, Prior Environment Clearance for Tarapur Stone (Gitti) & Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (15,000 Cum per annum) (Khasra No. 856/2), Village-Tarapur, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)</u>

This is case of Stone (Gitti) & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 856/2), Village-Tarapur, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष ठाकुर और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मे0. अपेक्स माईनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 144 दिनांक 16/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पूर्व दिशा में 108 मीटर पर पक्का रोड एंव उत्तर दिशा में 190 मी0. पर कच्ची रोड तथा उत्तर दिशा में ही 235 मी. की दूरी पर एक बडा तालाब स्थित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि तालाब के सरंक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेक प्रस्तावित किये गये है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से जो मौसमी नाला निकल रहा है उसके संरक्षण हेतु 50 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 50 मीटर का सेट बेक छोड़ने के बाद खनन् हेतु लगभग 1.40 हे. क्षेत्र उपलब्ध होगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में एक केंशर स्थापित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना डामर प्लॉट है जो हमारे द्वारा हटा दिया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 144 दिनांक 16/01/2023 मे उल्लेख अनुसार प्रस्तावित खदान नवीन डी.एस. आर. में जोड दी जावेगी चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 – जारी पत्र कुमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दुष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन एवं मुरूम 15,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.35 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.56 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
तारापुर गांव की शासकीय प्राथमिक विद्यालय के कुए के ऊपर जाली लगवाई जाएगी और कुए का रखरखाव किया जायेगा	30,000-/
तारापुर गांव की शासकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण को समतल बनाने के लिए भराव का कार्य किया जायेगा	90,000/-
कुल	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	450
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	200
3	पट्टा क्षेत्र का वो भाग (0.5728 हैक्टअर) जहा खनन कार्य नहीं किया जायेगा	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	1750
		कुल	2400

9. <u>Case No 9660/2023 Smt. Kanchan Dubey W/o Shri Ashish Pathak, R/o Tilak Ward No. 6, Satai Lakhanugaon, District-Chhatarpur (MP)-471408, Prior Environment Clearance for Padariya Stone Mine in an area of 2.451 ha. (70,000 cum per annum) (Khasra No. 27/2, 199/1/1), Village-Padariya, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 27/2, 199/1/1), Village-Padariya, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP) 2.451 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कंचन दुवे और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला एंव श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2526 दिनांक 15/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत थी जिनका कुल रकबा 21.271 हे. होता है, किन्तु 07 खदानों की लीज समयाविध समाप्त हो गई है जिनका कुल रकबा 18.820 हे. स्वीकृत था। वर्तमान मे 01 खदान स्वीकृत है जिसका रकबा 2.451 हे0. है। अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 387 मी. पर एंव उत्तर-पूर्व दिशा में 483 मीटर पर पक्का रोड, उत्तर-पश्चिम दिशा मे एक कच्ची रोड, पश्चिम दिशा में 295 मी. पर एक शेड एंव दक्षिण पश्चिम दिशा में 448 मी. पर एक-दो मकान स्थित है। प्रस्तृतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 30 मीटर एक जल रोकने की संरचना है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कि उनके द्वारा 20 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 77 दिनांक 09/01/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा स्वीकृति के पूर्व दिनांक 09/05/22 को डी.एस.आर. अनुमोदित की गई है । छतरपुर जिले की अन्य गौण खनिज (रेत को छोड़कर) की डी.एस.आर. को अद्यतन किया जा रहा है । उक्त खदान को अद्यतन कर डी.एस.आर. में जोड़ दिया गया है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 70,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. —— लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
शासकीय उप– स्वास्थ्य केन्द्र पडरिया में एक व्हील चेयर, एक वॉटर प्यूरीफायर एवं चार बेड (गददे, तिकया एवं चादर सिहत)	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिरसू, आवंला, चिरोल, नीम, पुत्रंजीवा, सफेद कस्टार जंगल जलेबी , करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
		कुल	3000

10. Case No 9661/2023 Shri Arpit Jain, Lease Owner, R/o Gandhar Road, Oswal Dal Mill, Chaumahla, District-Jhalawar (RJ)-326515, Prior Environment Clearance for Haripura Murrum & Stone Quarry in an area of 1.900 ha. (25,596 Cum Total Production) (Khasra No. 200), Village-Haripura, Tehsil-Suwasra, District-Mandsaur (MP)

This is case of Murrum & Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 200), Village-Haripura, Tehsil-Suwasra, District-Mandsaur (MP) 1.900 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अर्पित जैन और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 4200 दिनांक 22/12/2020 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार उत्तर—पूर्व दिशा में 18 मी. पर, उत्तर दिशा में 53 मी. एंव दक्षिण दिशा में 401 मी0. पर नाला है, उत्तर दिशा में ही 235 मी. पर एक जल रोकने की संरचना तथा उत्तर पश्चिम दिशा में 460 मी. पर एक पक्का रोड है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर—पूर्व दिशा मे 18 मी. पर मौसमी नाला होने के कारण 50 मीटर का सेटवेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 2710 दिनांक 06/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा

उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 25,596 मी³ प्रति वर्ष एवं मुरूम 2904 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.37 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 05.27 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
ग्राम पंचायत हरिपुरा के शासकीय स्कूल में 01 कंप्युटर सिस्टम एवं प्रिंटर तथा 10 टेबल एवं 10 कुर्सी की व्यवस्था की जावेगी	80,000 / —

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण :--

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिस्सू नीम, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं कस्टार, जंगल जलेबी अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं जंगल जलेबी अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ।	200
3	हरिपुरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	880
4	शासकीय विद्यालय हरिपुरा में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, करंज गुलमोहर।	20
		कुल	2300

11. Case No 9667/2023 Shri Virendra Singh Gautam, R/o Ward No. 09, Maharana Pratap Nagar, Behind PG College, District-Sheopur (MP)-476337, Prior Environment Clearance for Bardha Bujarg Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2,000 Cum per annum) (Khasra No. 327/3), Village- Bardha Bujarg, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 327/3), Village- Bardha Bujarg, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र गौतम और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 10745 दिनांक 03/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान के आक्षांश—देशांश अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आक्षांश—देशांश के अनुरूप नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा जो आक्षांश—देशांश प्रस्तुतीकरण में दिये गये है वे अनुमोदित खनन् योजना के है अतः उन्हें मान्य किया जाये । सिमित ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन् योजना के जो आक्षांश—देशांश प्रस्तुत किये गये है उनका प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा नहीं किया गया जो आवश्यक है क्योंकि वे सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न है जिसमें समस्त अंक्षाश—देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया है । अतः सिमित की अनुशंसा है कि यह तथ्य सिया के संज्ञान में लाया जाये कि कई प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश—देशांश सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप नहीं उनमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश—देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराने के पश्चात् ही प्रकरण का परीक्षण किया जाना उचित होगा तथा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक उनके द्वारा प्रस्तुत आक्षांश—देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराकर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे एवं यह प्रकरण नीति निर्धारण हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये ।

12. Case No 9622/2023 Shri Sanjay Baghel, Director, 1180, University Road, South Civil Line, District-Jabalpur (MP)-482002, Prior Environment Clearance for Amiliha Stone Boulder Gitti Mine in an area of 2.500 ha. (2,00493 Cum per annum) (Khasra No. 444P), Village- Amiliha, Tehsil-Gurh, District-Rewa (MP)

This is case of Stone Boulder Gitti Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 444P), Village- Amiliha, Tehsil-Gurh, District-Rewa (MP) 2.500 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय बघेल के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जुनेद अली और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि, लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)

पत्र क्रमांक 15 दिनांक 05/01/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान (अस्थायी अनुज्ञा) खनिज पत्थर गिट्टी हेतु 4.900 हे. मे स्वीकृत की गई थी,जिसकी अवधि 08/05/19 से 31/03/22 तक थी। इस प्रकार कुल रकबा 2.50 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार आवंटित खदान के उत्तर दिशा में 145 मीटर एंव उत्तर पश्चिम दिशा में 276 मी. पर पक्का रोड, दक्षिण-पश्चिम दिशा में 425 मी. पर एक खेल का मैदान, उत्तर-पूर्व एंव पश्चिम दिशा में क्रमशः 270 मी. एंव 475 मी. पर आबादी, उत्तर-पश्चिम दिशा में 125 मी. पर एक शेड है । शेड के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक निमाणाधीन गौशाला है तथा पक्के रोड से 55 मीटर का सेट बेक प्रस्ततीकरण में दिया गया है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में 136 मीटर पर एक मौसमी नाला है जिसके सरंक्षण हेत् गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक प्रस्तावित किया गया है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 16 दिनांक 05 / 01 / 23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (अस्थाई उत्खनन् अनुज्ञा संचालन किये जाने) होने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त अस्थाई अनुज्ञा सम्मिलित कर लिया जावेगा चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 2,00,493 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.60 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 06.90 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
अमिलिहा ग्राम के निकट गौ–शाला में एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की	60,000 / -
स्थापना करवा दिया जाएगा ।	
गौ शाला में 02 सोलर पेनल (बेटरी के साथ) एवं 02 पंखे की स्थापना कराई जाएगी ।	90,000 / -
योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	वैरियर जोन मे	सिस्सू नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं कस्टार, जंगल जलेबी अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, करंज, एवं जंगल जलेबी अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ।	200
3	अमिलिहा ग्राम के निकट गौ–शाला में	अंजन, शिरीष, मुनगा, सहजन, व पशुओ के खाने योग्य अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। चेनलिंक फेन्सिंग के चारों ओर छायादार पोधों जैसे बरगद, पीपल, इत्यादि का रोपण किया जावेगा	800
		कुल	1400

13. Case No 9636/2023 M/s Shreeji Enterprises, C/o Shri Ramakant Sharma, Near Railway Crossing, Ward No. 8, District-Sheopur (MP)-476337, Prior Environment Clearance for Kasba Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (25,578 cum per annum) (Khasra No. 1786), Village-Kasba, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1786), Village-Kasba, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रमाकांत शर्मा (ऑन लाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (ऑन लाईन) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 147 दिनांक 06/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 3.0 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के उत्तर एंव दक्षिण —पश्चिम दिशा में क्रमशः 58 मी. एंव 137 मी. पर मौसमी नाला है जिसके संरक्षण हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया की गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेक प्रस्तावित किये गये है । आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 126 मी. की दूरी पर एक जल रोकने की संरचना एंव पश्चिम दिशा में 493 मी. पर एक भवन स्थित है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्मांक 147 दिनांक 06/01/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज—रेत को छोड़कर) मे जोडा जाने हेतु अनुरोध है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय

स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 25,578 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.64 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
शासकीय प्राथमिक विद्यालय में हमारे द्वारा एक कमरे का निर्माण कराया जायेगा।	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
		कुल	2400

14. Case No 9621/2023 Shri Umakant Sharma, Director, M/s Harrai Bijouri Highways Private Limited, Shop No. F-5, Lotus Tower, Kudehi District-Rewa (MP)-486111, Prior Environment Clearance for Aacharkund Stone and Murrum Mine (Temporary Permit) in an area of 1.3720 ha. (Stone-90,000, Murum-10,000 Cum per annum) (Khasra No. 422, 419), Village- Aacharkund, Tehsil-Harrai, District-Chhindwara (MP)

This is case of Stone and Murrum Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 422, 419), Village- Aacharkund, Tehsil-Harrai, District-Chhindwara (MP) 1.3720 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री उमाकांत शर्मा और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 08/12/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 2.372 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान दो भागों में है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 01 हे. का न्यूनतम् क्षेत्र की बंदिश के कारण खदान 02 भागों में आवंटित की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के दक्षिण दिशा में 137 मी. की दूरी पर पक्का रोड, दक्षिण — पश्चिम दिशा में 166 मी. की दूरी पर शेड, दक्षिण दिशा में 52 मी. पर मौसमी नाला है (जो कि आगे जाकर लगभग 700 मी. पर नदी में मिलता है) तथा उत्तर पूर्वी दिशा में 289 मी0. कुछ मकान है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 52 मी. पर मौसमी नालें के संरक्षण हेतु गारलेण्ड ड्रेन एंव सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि 01 हे. क्षेत्र में स्वीकृत इस खदान में अधिकतम् गहराई 20 मीटर प्रस्तावित है, जिसमें ग्राउण्ड वाटर इंटरसेक्शन की संभावना हो सकती है । अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि वे सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड या किसी अन्य किसी अधिकृत एजेंसी से यह प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें कि इस क्षेत्र में वर्षाकाल के पश्चात् भू—जल का स्तर क्या है तत्पश्चात् प्रकरण में आगामी निर्णय लिया जाना संभव होगा ।

15. Case No 9637/2023 Shri Raeesh Mohammad S/o Late Shri Rajjaq Mohammad, Leessee R/o Village-Barukhedi, Post-Mau, District-Rajgarh (MP)-465697, Prior Environment Clearance for Dingalpur Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (3,420 cum per annum) (Khasra No. 348/422/1/1), Village-Dingalpur, Tehsil-Sarangpur, District-Rajgarh (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 348/422/1/1), Village-Dingalpur, Tehsil-Sarangpur, District-Rajgarh (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रहीस मुहम्मद (ऑन लाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव एवं श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 01 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 1.00 है0. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के उत्तर एंव दक्षिण पिश्चम दिशा में क्रमशः 71 एंव 130 मी. की दूरी पर नाला, उत्तर दिशा में 150 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड एंव पूर्व दिशा में 527 की दूरी पर एक पक्का रोड स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 71 एंव 130 मी. की दूरी पर नाले के संरक्षण हेतु गारलेण्ड ड्रेन एंव सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 01 दिनांक 02/01/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ा जायेगा चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 3,420 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.02 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 03.05 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राइमरी स्कूल, डिंगलपुर में दस नग बेंच व डेस्क एवं दो प्लास्टिक के टैंक	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	आवंला, नीबू, नीम, महुआ, जामुन, कटहल, मुनगा, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	700
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्राामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400
		- कुल	1200

16. Case No 9638/2023 Smt. Varsha Shivhare W/o Shri Lavnish Shivhare, R/o By Pass Road, Near By Railway Gate, Ward No. 9, Madhuwan Colony, District-Sheopur (MP)-476337, Prior Environment Clearance for Kasba Sheopur Stone (Boulder) Quarry in an area of 1.00 ha. (21600 cum per annum) (Khasra No. 1786), Village-Kasba Sheopur, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)

This is case of Stone (Boulder) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1786), Village-Kasba Sheopur, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 02/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वर्षा शिवहरे (ऑन लाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (ऑन लाईन) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 145 दिनांक 06/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 01.0 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 264 मी. की दूरी पर एक जल रोकने की संरचना, दिक्षण दिशा में 151 मी. की दूरी पर एक नदी, उत्तर दिशा में 50 मी. तथा दिक्षण दिशा में 120 मी. पर नाला है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनके संरक्षण हेतु गारलेण्ड ड्रेन एंव सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 145 दिनांक 06/01/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज—रेत को छोड़कर) में जोडा जाने हेतु अनुरोध है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ता एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 21,600 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
शासकिय प्राथमिक विद्यालय में हमारे द्वारा एक कमरे का निर्माण कराया जाएगा।	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
		कुल	1200

17. Case No 9205/2022 Shri Madhusudan Patidar, Richhalamuha, Tehsil - Dalouda, Dist. Mandsaur, MP - 458002, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (42180 Cum per annum) (Khasra No. 113), Village - Arniyagurjar, Tehsil - Mandsaur, Dist. Mandsaur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 113), Village - Arniyagurjar, Tehsil - Mandsaur, Dist. Mandsaur (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र कमांक 2489 दिनांक 03/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 200 मीटर पर रोड़ है तथा उसी दिशा में 250 मीटर पर आबादी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित क्षेत्र में पश्चिम भाग में एक खदान स्थित है, जो पुरानी गूगल इमेज अनुसार वर्ष 2018 से संचालित लग रही है किंतु खनिज अधिकारी ने 500 मीटर में कोई खदान न होना लिखा है । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि पश्चिम दिशा में एक खदान गूगल इमेज में दिखाई दे रही है, वह अस्थाई अनुज्ञा पर थी जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- ✓ पश्चिम दिशा में एक खदान गूगल इमेज में खुदी हुई दिखाई दे रही है, पर खनिज अधिकारी ने 500 मीटर में कोई खदान न होने की जानकारी दी है अतः सेक द्वारा खनिज अधिकारी का इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये ।
- 🗸 समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी 30 दिवस में ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण को सेक की पूर्व 586वीं बैठक दिनांक 21/07/2022 को डिलिस्ट करते हुए सिया को अग्रेषित किया गया था । प्रकरण को सिया के पत्र क्रमांक 1328 दिनांक 04/08/2022 के द्वारा डिलिस्ट किया यगा था तथा सिया के पत्र क्रमांक 2495 दिनांक 05/01/2023 के द्वारा रिलिस्ट कर परीक्षण हेतु पुनः सेक को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण को आज दिनांक 02/03/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मधुसूदन पाटीदार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेक की पूर्व 586वीं बैठक दिनांक 21/07/2022 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) के पत्र क्रमांक 2076 दिनांक 22/09/22 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें जिसमें प्रभारी अधिकारी द्वारा यह उल्लेखित है कि आवंटित खनन् क्षेत्र में जो गढढे दिखाई दे रहे है वे आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व के जो कि संभवतः ग्रामीणों तथा रोड कंपनी द्वारा खोदे गये होगे । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ने पत्र क्रमांक 850 दिनांक 27 / 04 / 2022 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड़ा जायेगा । अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 41,180 घनमीटर / वर्ष ।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.03 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.58 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
स्थानीय अनाथ निशक्तजन संस्थान, मंदसौर में सहयोग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम,सिस्सू, करंज,चिरोल, सीताफल,सफ़ेद कैस्टर एवं अन्य प्रजातियाँ।	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम,करंज,चिरोल,जंगल जलेबी।	400
3	विद्यालय में	मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम	100
4.	गाँव में वितरण	आँवला, आम, मुनगा, जामुन	2100
		कुल	4600

18. प्रकरण कमांक 9043 / 2022 — मेसर्स बालाजी मार्बल एंव टाईल्स प्रा. लि., 11—12 डन मार्केट, जबलपुर रोड़ वरगावाँ, जिला कटनी (म.प्र.) डोलोमाईट एवं क्वार्ट्ज माइन, खसरा नं. 135, 136, रकबा 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट एवं क्वार्ट्ज — 3,01,999.40 टीपीए, ग्राम वडागाँव, तहसील बडवरा जिला कटनी (म.प्र.) EIA Consultant - M/s Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP., Gurugram, Haryana.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण डोलोमाइट एवं क्वार्ट्ज उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 135, 136, रकबा 04.00 हेक्टेयर, ग्राम वडागांव तहसील बडवरा जिला कटनी (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की पूर्व की 585वीं बैठक दिनांक 13/07/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आकाश गोयल, माइन मेनेजर और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स अमलतास इंनवायरो इण्ड. कंसल्टेंट, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए (विस्तृत जानकारी फार्म-02 के बिंदु क्रमांक-38 पर दर्ज है) । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में कई पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान में कुल 06 पेड़ लगे है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि 06 से अधिक पेड खनन क्षेत्र में लगे है तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है, उसमें से एक पेड पलाश का दिख रहा है, जो इंवेंट्री में शामिल नही है। इसी प्रकार ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि गर्थ मेजरमेंट का तरीका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि गर्थ मेजरजेंट चेस्ट हाईट या जमीन से 1.37 मीटर की ऊँचाई पर की जानी चाहिए, अतः ट्री-इंवेंट्री उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित की जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूरी पर सड़क है तथा पूर्व दिशा में 435 मीटर पर तालाब हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान तालाब का गहरीकरण, खदान के चारों ओर फेंसिंग, गाँव में पानी व लाईट की समस्या तथा वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव कियाँ जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये अतिरिक्त टॉर बिंदुओं का सारगर्भित उत्तर प्रस्तृत नहीं किया गया है, जैसे : खदान के पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूरी पर सड़क होने के कारण प्रोटेक्शन प्लॉन पूछा गया था जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं है । इसी प्रकार फार्म-2 एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारियों में कई बिंदुओं पर भिन्नता पाई गई, जिसके संदर्भ में समिति द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार को त्रुटियाँ बताई गई तथा उनके द्वारा किये गये कार्य के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की गई । पर्यावरणीय सलाहकार ने त्रृटियों के लिए खेद व्यक्त किया तथा प्रस्तावित किया कि वे पुनरीक्षित जानकारी सुधार कर प्रस्तुत कर देंगे तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखेंगे । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने, फार्म-2 एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट में निम्न बिंदुओं पर संशोधन / सुधार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- √ फार्म—2 के बिंदु कमांक—01 में फर्म का नाम Badagaon Dolomite Quartz Quarry Mining Project दिया गया है जबकि टॉर मेसर्स बालाजी मार्बल एवं टाईल्स प्रा.लि. के नाम से जारी हुआ है, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है।
- √ फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−16 एवं 16.1 में कोई जानकारी नहीं दी गई है जबकि बिंदु क्रमांक−15

 में जल की आवश्यकता 4.63 किलोलीटर / दिन दर्शाई है, अतः स्थिति स्पष्ट करें।
- √ फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−17 में कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा मोड आफ डिस्पोजल भी
 त्रुटिपूर्ण है ।
- √ फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−18.1(3) में एनओएक्स की इंक्रीमेंटल कांसनट्रेशन की जानकारी
 त्रुटिपूर्ण है ।
- √ फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−19 में 04 केव्हीए के सोलर पॉवर का प्रस्ताव दिया गया है, अतः इसे ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

- √ फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−20 में 04 हे. निजी भूमि का विवरण दर्ज है जो परियोजना प्रस्तावक के नाम से नहीं है, अतः भू—स्वामी की सहमति प्रस्तुत की जाये।
- ✓ फार्म−2 के बिंदु कमांक−25(बी) में ट्री−इंवेंट्री अपलोड नहीं की गई है तथा निल बताई गई है किंतु ई.आई.ए. रिपोर्ट में एजेग्जर−18 में 06 पेड़ों की ट्री−इंवेंट्री बताई गई है जबिक गूगल इमेज अनुसार पेडो की संख्या ट्री−इंवेंट्री में दर्शायी गई पेडो की संख्या से बहुत अधिक है अतः ट्री−इंवेंट्री पूर्ण नही है। ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है, उसमें से एक पेड़ पलाश का दिख रहा है, जो इंवेंट्री में शामिल नही है तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि गर्थ मेजरमेंट का तरीका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि गर्थ मेजरजेंट चेस्ट हाईट या जमीन से 1.37 मीटर की ऊँचाई पर की जानी चाहिए तथा जानकारी सेंटीमीटर में अंकित की जानी चाहिए । अतः ट्री−इंवेंट्री उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित की जाये ।
- √ फार्म—2 के बिंदु क्रमांक—38 (x) में प्रस्तुत कंसल्टेंट का एक्रीडेशन दिनांक 06 / 07 / 22 तक ही है, अतः वैध कंसल्टेंट एक्रीडेशन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें ।
- ✓ प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये अतिरिक्त टॉर बिंदुओं का सारगर्भित उत्तर (जैसे 02,07,10,11,1,2,14) प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः दिये गये अतिरिक्त टॉर के सभी बिंदुओं का सारगर्भित उत्तर प्रस्तुत किया जाये ।
- ई.आई.ए. पेज नं. 11 / 1 के बिंदु क्रमांक−14 में यह उल्लेखित है कि भू−जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नहीं है जबिक फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−14.6 में भू−जल स्तर 30 मीटर तथा बिंदु क्रमांक−35 (11) में खनन् की गहराई 30 मीटर दर्शाई गई है। अतः यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार भू−जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नहीं है।
- У प्रकरण के साथ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016 की है, अतः सिया की 724वीं बैठक दिनांक 17 / 05 / 22 में लिए गए निर्णयानुसार कटनी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खनन् क्षेत्र की स्थिति तथा कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी 30 दिवस में ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण को सेक की पूर्व 591वीं बैठक दिनांक 27/08/2022 को डिलिस्ट करते हुए सिया को अग्रेषित किया गया था । प्रकरण को सिया के पत्र कमांक 1595 दिनांक 09/09/2022 के द्वारा डिलिस्ट किया यगा था तथा सिया द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट कर परीक्षण हेतु पुनः सेक को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण को आज दिनांक 02/03/23 को समिति के समक्ष रखा गया, परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आकाश गोयल, माइन मेनेजर और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार सुश्री धारणा तिवारी, मेसर्स अमलतास इंनवायरो इण्ड. कंसल्टेंट, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा संशोधित फार्म—2 के साथ अन्य जानकारी ऑन लाईन प्रस्तुत कर दी गई है । समिति ने चर्चा उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने

से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट एवं क्वार्ट्ज 3,01,999.
 40 टीपीए।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 27.31 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 08.33 .लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक शाला बड़ागाँव में 2 0बेंच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था	25,000
ग्राम बड़ागाँवके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	2,00,000
योग	2,25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2,000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
	ग्रामवासियो में वितरण हेतु ग्राम पंचायत) बड़ागाँव)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत बड़ागाँव के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500

4.	ग्राम पंचायत बड़ागाँव के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्स् स्थानीय प्रजातियां	्. एवं अन्य	100
			कुल	4000

19. Case No 9514/2022 Shri Shivraj Dangi, R/o Village-Sonkatch, Tehsil-Narsinghgarh, District- Narsinghgarh (MP)-465669, Prior Environment Clearance for Sonkatchh Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5096 Cum per annum) (Khasra No. 40/14), Village – Sonkachh, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 40/14), Village – Sonkachh, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज सेक की 616 वीं बैठक दिनांक 02/01/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शिवराज दांगी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 287 दिनांक 08/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसको मिला कर कुल रकबा 4.0 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के उत्तर दिशा में 350 मीटर पर रोड़ एवं एम.पी.ई.बी. का सब—स्टेशन, उत्तर दिशा में 40 मीटर पर कच्चा रोड़, आबादी उत्तर—पूर्व दिशा में 620 मीटर तथा एकल प्रमाण—पत्र अनुसार 480 मीटर पर शासकीय स्कूल है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 287 दिनांक 08/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान खुदी हुई है जिसमें गूगल इमेज अनुसार 2017 से खनन् कार्य किया जाना दृष्टिगत होता है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक पुरानी खदान है, जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया गया कि गूगल इमेज अनुसार खदान के 500 मीटर की परिधि में कई अन्य खदान दिख रही है

जबिक एकल प्रमाण–पत्र में सिर्फ एक खदान उल्लेखित है अतः संबंधित खनिज अधिकारी से उपरोक्त तथ्यों पर स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये ।

उपरोक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ए.डी. एस. के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर दिनांक 06/02/23 को अपलोड कर दी गई है। प्रकरण को आज दिनांक 02/03/23 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शिवराज दांगी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। ए.डी. एस. के माध्यम परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी का पत्र प्रस्तुत किया, तत्संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्मांक 71 दिनांक 30/01/2023 द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है, कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है जिसमें से एक खदान के श्री रामेश्वर दांगी खसरा/सर्वे न0. 40/14 रकबा 01. 00 हे0. की अनुबंध वैघता दि0. 28/10/2020 को समाप्त हो चुकी है एंव 01 अन्य खदान के श्री अमन त्रिपाटी खसरा/सर्वे न0. 38 रकबा 03.00 स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसको मिला कर कुल रकबा 4.0 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। समिति ने चर्चा उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ता एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 5096 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.09 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय हाई स्कूल सोनकच्छ में एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रिंटर टेबल के साथ	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिरसू, चिरोल, नीम, महुआ, जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200

3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
		कुल	1200

20. <u>Case No 9520/2022 M/s. Badshah Udhyog, Prop.Shri Ayazuddin Shaikh, R/o H.No. 7, Civil Lines, Opposite Collector Bunglows, Dewas (MP)-455001, Prior Environment Clearance for Anandpur Dungariya Murrum Quarry in an area of 2.50 ha. (15,000 Cum per annum) (Khasra No. 379), Village–Anandpur Dungariya, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP)</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 379), Village–Anandpur Dungariya, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 616वीं बैठक दिनांक 02/01/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अयाजुद्दीन शेख (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 2988 दिनांक 16/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/ संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनको मिला कर कुल रकबा 05.5 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है जबिक आवेदन बी—2 श्रेणी के अंतर्गत स्वीकार कर प्राप्त हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान मुक्तम की है जबिक 500 मीटर की परिधि में दूसरी खदान स्टोन की है, अतः दोनों खदानें एक—दूसरे से होमोजीनियस नहीं है । समिति ने कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी पत्र का अवलोकन किया एवं पाया कि उसमें दोनों खदानों को एक दूसरे से होमोजीनियस दर्शाया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रमाण पत्र में त्रृटिवश होमोजीनियस लिखा गया है, अतः समिति ने अनुशंसा की कि इस संदर्भ में संबंधित खनिज अधिकारी का मत/अनुशंसा प्राप्त किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 17/01/2023 को अपलोड कर दी गई है । प्रकरण को आज दिनांक 02/03/23 को सिमति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अयाजुद्दीन शेख (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खिनज अधिकारी का पत्र क्रमांक 169 दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी का उल्लेख करते हुए बताया कि संबंधित खिनज अधिकारी का मत है कि खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है तथा वह पत्थर/गिट्टी की होने के कारण दोनो खदानें एक दूसरे से

होमोजीनियस नही है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के दक्षिण दिशा में 210 मीटर पर आबादी है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 04 पेड़ लगे है जिसमें से कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मुक्तम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—38 के सरल कमांक—04 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम 15,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.33 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.81 .लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
आनंदपुर डुंगरिया के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 2 फोल्डेबल व्हील	30,000/-
चेयर्स एंव 1 बेड उपलब्ध करवाए जायेंगे।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :--

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— खमेर, जंगल जलेबी, आवला, नीम, कस्टार, करंज, चिरोल आदि।	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:—सिस्सू, पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम आदि।	300
3	ग्राम आनंदपुर डुंगरिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज, आवला आदि।	50
4.	ग्राम राबडिया के पंचायत भवन परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि।	80
5.	ग्राम आनंदपुर डुंगरिया के शासकिय विद्यालय	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि।	100

	परिसर में		
6.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन, मुनगा आदि।	2070
		कुल	3000

21. <u>Case No 9531/2022 M/s Bansal Construction Works Private Limited, 3rd Floor, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, District-Bhopal (MP), Prior Environment Clearance for Chhapri Crusher Murrum Deposit an area of 4.00 ha. (2,32,122 Cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village— Chhapri, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP)</u>

This is case of Crusher Murrum Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village—Chhapri, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 617वीं बैठक दिनांक 03/01/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राम साहू (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के मिश्रा, अमलतास इंवायरो, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल पत्र क्रमांक 1913 दिनांक 03/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रश्नाधीन खदान मुरूम की है तथा अस्थायी अनुज्ञा (Temporary Permit) की श्रेणी में स्वीकृत है अतः इसमें खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के दिक्षण दिशा में एक कच्चा रोड 45 मी. पर स्थित है तथा दिक्षण दिशा में 50 मी. की दुरी पर आबादी / बसाहट है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 50 मीटर का सेटबैक गैर खनन क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है । अतः खनन हेतु कुल 2.40 क्षेत्र उपलब्ध होगा तथा खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको यह लीज माह— अगस्त 2022 में स्वीकृत हुई है तथा उसके पहले ग्रामीणों द्वारा ऊपर से मुरूम / मिट्टी उनके कार्य हेतु निकाली गई है तथा खुदे हुये भाग को सरफेस मेप में दिखाया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा प्रथम वर्ष हेतु 2,03,730 घनमीटर तथा द्वितीय वर्ष हेतु 2,32,122 घनमीटर है किंतु फार्म—1 में आवेदन 1,32,322 घनमीटर प्रति वर्ष हेतु किया गया है, जिसके संदर्भ में

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि त्रुटिवश आवेदन 1,32,322 घनमीटर प्रति वर्ष के लिए हो गया है जबिक प्रस्तुतीकरण एवं अन्य दस्तावेजों में मात्रा 2,32,122 घनमीटर / वर्ष है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति का सुझाव था कि चूँिक खनन् हेतु अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत की गई है, अतः 02 वर्ष पश्चात् किए गए वृक्षारोपण का संधारण कौन करेगा । अतः परियोजना प्रस्तावक यह शपथ—पत्र प्रस्तुत करें कि 02 वर्ष पश्चात् किए गए वृक्षारोपण की देख—रेख हेतु आवश्यक राशि ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी तािक वे किए गए वृक्षारोपण की देख—रेख कर सके । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी जमा करने हेतु कहाः—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा प्रथम वर्ष हेतु 2,03,730 घनमीटर तथा द्वितीय वर्ष हेतु 2,32,122 घनमीटर है किंतु फार्म—1 में आवेदन 1,32,322 घनमीटर प्रति वर्ष हेतु किया गया है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक स्थिति स्पष्ट करें ।
- 2. परियोजना प्रस्तावक का शपथ—पत्र प्रस्तुत कि 02 वर्ष पश्चात् किए गए वृक्षारोपण की देख—रेख हेतु आवश्यक राशि ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी ताकि वे किए गए वृक्षारोपण की देख—रेख कर सके।
- पुनरिक्षित वृक्षारोपण एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना जिसमें पौधों के संधारण संबंधी बजट को ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान हो ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 28/01/23 को अपलोड कर दी गई है । प्रकरण को आज दिनांक 02/03/23 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव (ऑनलाईन), अमलतास इंवायरो, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि:

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा 2,32,122 घनमीटर प्रतिवर्ष है किंतु फार्म-1 में त्रुटिवश 1,32,322 घनमीटर प्रति वर्ष उल्लेखित हो गया था अतः खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा 2,32,122 घनमीटर प्रतिवर्ष पडी जाये ।
- परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि किए गए वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु आवश्यक राशि रू.
 10,000 प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी जिस संबंध में ग्राम पंचायत का सहमति पत्र दिनांक 18 / 01 / 23 ऑन लाईन अपलोड किया गया है।
- 3. समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरिक्षित वृक्षारोपण एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर दी गई है ।

समिति ने चर्चा उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम 2,32,122 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.80 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 3.43 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र बंडा में 1 व्हील चेयर और 1 मेडिकल बीएड की व्यवस्था	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (1.मीटर उचाई के पौधे)	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानी प्रजातियां	1000
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत छपरी)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2800
4	ग्राम पंचायत छपरी के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल	4800

22. Case No. 9290/2022 M/s Piyanshu Chemicals Pvt. Ltd, 53A, Tiljala Road, Mescab Centre, 4th Floor, Kolkata, W.B. – 700046. Prior Environment Clearance for Expansion in production capacity from 8320 MT/Year to 48,000 MT/Year for Manufacturing of Resins, Driers, Paint Additives Products at Plot No. 684, 652, Industrial Area-3, Pithampur, Dist. Dhar, MP. Cat. - 5(f) Env. Cons. – M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).

The project is a Synthetic Organic Chemicals Industry (dyes & dye intermediates; bulk drug). Cat.- 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry (As per EIA notification dated 14th

September 2006 and amended to the date) and involves environmental clearance. Application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 594th SEAC dated 21/09/2022 wherein ToR was recommended. TOR approved in 751 SEIAA meeting dated 14-10-22. TOR issued letter no. 1856- 57/SEIAA/22 dated 20/10/2022. PP has submitted the EIA report Online which was forwarded by and the same was scheduled in the agenda.

The case was presented by Env. Consultant Env. Consultant Shri Manish Chandekar (Online) and Ms. Vasanti Tapadia from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and on behalf of PP Shri Padmanabh Bhagat., wherein during presentation PP submitted that M/S Piyanshu Chemicals Private Limited (PCPL) has its manufacturing unit at Plot No 684 & 652, Industrial Area-3, Pithampur, Dist. Dhar, M.P. Company is manufacturing Resins, Driers, Paint Additives products with the total production capacity of 8320 MTPA under Valid Water and Air Consents from MP Pollution Control Board wide its letter no .2150/RO-Dhar/MPPCB/05dtd 12.09.2005. Now PCPL is proposing the expansion in the production capacity of above products and has applied for Consent to Establish – Expansion wide its Application No.-1166220 and has obtained CTE expansion via MP Pollution Control Board Letter no CTE-56224 dated 30.06.2022. One of the conditions prescribed under consent is to obtain Prior Environmental Clearance for the proposed Expansion. Therefore, to obtain Prior EC, the application is being made for EC under 5(f)- Other Synthetic Organic Chemicals. The total land area acquired for the project is 12281 Sq. meter. The capital cost of the project is 24 Crores INR.(12.36 is Existing & 11.64 is Proposed cost). This is to your kind notice that we have uploaded consent for air & water with consent no. 2150/RO-Dhar/MPPCB/05 Dated. 12.02.2005 validity upto 31.05.2008. We have renewed the same consent again & previous consent no. AW-54627 dated 16.11.2021, validity 14.09.2022. We have again applied for renewal of consent for 1 year which is awaited & expected consent validity is 14.09.2023.

PP further submitted that the product profile has been finalized based on the market demand and the technology compatibility. The process involves essentially reacting the raw materials drawn from various sources. The product profile is finalized taking into consideration the reaction yields, waste profile, hazardous nature of raw materials. The existing and proposed products for EC are in given below table.

Existing Products				
S. No.	S. No. Product list Quantity in MTPA			
1 Amino Resin		360		
2 Synthetic Resin		6400		

3	Driers	360	
4	Paint & Varnish	600	
5	Thinner	600	
	Total	8320	
	Proposed	Products for EC	
S. No.	Product list	Quantity in MTPA	
1	Amino Resin	3600	
2	Synthetic Resin	28800	
3	Driers	3600	
4	Paint Additives	12000	
Total		48000	

During presentation, PP submitted that being our plant is situated in the Notified Industrial Area, public Hearing is not applicable and as the plant was established prior to the EIA Notification, 2006, applicability of EC was envisaged. During presentation, PP submitted that they have purchased additional land adjescent to this plant for green belt development. After presentation, PP was asked to submit clarification/details on following:

- 1. Revisd mass balance according corrections as suggested by the committee with justification for catalyst being taking part in the reaction.
- 2. Justify (with backup calculation) 59 KLD water loss through cooling tower as shown in water balance.
- 3. Revised water balance with its bifurcation for existing products and for expansion.
- 4. Backup calculation for carbon footprint calculations in quantifiable terms.
- 5. Clear lay out depicting exsiting facilities and proposed facilities for expansion.
- 6. Revised CER proposals as suggested by committee.
- 7. Revised plantation scheme as suggested by committee.

On dated 01.02.2023 Env. Consultant from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and on behalf of PP Shri Padmanabh Bhagat submitted the query reply on line on PARIVESH Portal which were asked in the In the SEAC 618th meeting dated 11.01.2023. Hence, this case was scheduled in this agenda.

The case was presented by Shri Manish Chandekar and Ms. Vasanti Tapadia from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and PP Shri Padmanabh Bhagat, wherein PP submitted that they have replied all the queries raised by the committee. PP submitted that during the presentation of EIA it was suggested that a revised material balance sheet to be submitted specifically for the Catalyst output. It was discussed that catalyst is being taken as input into the reactions but is not being accounted for into the output. Hence, the revised material balance sheet is being submitted for all the products. It is worth to mention that we receive customer's specification of supply of products and we supply products as per the given

specifications. Catalyst does play an important role in to the reactions, however, in following products, catalyst becomes the part of the product and separation is not economically feasible. This does not pose any quality issue in the products and customers do not have any issues. Simillarly, during the presentation of EIA, it was suggested to submit the backup calculation of water loss in cooling towers. The supplier of cooling tower is Unimod System as as per their calculation the evaporation loss will be 59 m3/day. PP further submitted they have also submitted that revised water balance with its bifurcation for existing products and for expansion, backup calculation for carbon footprint calculations in quantifiable terms, lay out depicting exsiting facilities and proposed facilities for expansion and revised CER & revised plantation scheme. The Committee observed that the EIA/EMP and other submissions made by the PP are found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of Prior Environment Clearance for Expansion in production capacity from 8320 MT/Year to 48,000 MT/Year for Manufacturing of Resins, Driers, Paint Additives Products at Plot No. 684, 652, Industrial Area-3, Pithampur, Dist. Dhar, MP. Cat. - 5(f) Subject to the following special conditions:

	Existing Products				
S. No. Product list		Quantity in MTPA			
1	Amino Resin	360			
2	Synthetic Resin	6400			
3	Driers	360			
4	Paint & Varnish	600			
5	Thinner	600			
	Total 8320				
	Proposed Pro	oducts for EC			
S. No.	Product list	Quantity in MTPA			
1	Amino Resin	3600			
2	Synthetic Resin	28800			
3	Driers	3600			
4	Paint Additives	12000			
	Total 48000				

(A) Statutory compliance:

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).

- 2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- 3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

- 1. The project proponent shall monitor emissions in the stacks and fugitive emissions in premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or as stipulated by the M. P. Pollution Control Board.
- 2. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines as follows:

Sr. No.	Stack attached to	Fuel Type	Stack Height (m)	APC measures
1.	Thermic Fluid Heater (10 Lakhs kcal/hr.)	Agro Briquette - 4000 kg/day	Minimum 30 meters.	Multi Cyclone Separator and Bag Filter
2.	Thermic Fluid Heater (4 Lakhs kcal/hr.)	FO: 1.5 Kl/day	Minimum 30 meters.	Multi Cyclone Separator and Bag Filter
3.	D G Set (185 KVA) (Stand by)	HSD: 45 lit/hr.	Adequate Stack height as per CPCB norms.	Acoustic Enclosure
4.	D G Set (250 KVA) (Stand by)	HSD: 55 lit/hr.	Adequate Stack height as per CPCB norms.	Acoustic Enclosure

- 3. Storage of raw materials, chemicals etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
- 4. The DG sets sets (1 x 225 KVA- existing &1x 380 kVA proposed) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
- 5. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
- 6. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161h November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

- 1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
- 2. "Zero Liquid Discharge" shall be ensured using ETP (15 KLD) and no waste/treated water shall be discharged outside the premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
- 3. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
- 4. Total fresh water requirement shall not exceed 75 KLD.
- 5. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
- 6. The Company shall harvest rainwater, after taking permission from State Pollution Control Board, from the roof tops of the admin buildings. Process building, raw material and finished goods storage building shall not be used for ground water recharging.
- 7. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

- 1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets (1 x 225 KVA- existing &01X 380 kVA is proposed) for controlling the noise pollution.
- 2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
- 3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

- 1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
- 2. The total power requirements for project will be 500 kVA. The power will be supplied by Madhya Pradesh Electricity Board.

(F) Waste management

- 1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
- 2. Hazardous waste such as Used oil, Discarded containers/drums, shall be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- 3. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
- 4. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate fire fighting systems should be provided for the storage area.
- 5. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
- 6. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
- 7. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
- 8. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
- 9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
- 10. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
- 11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
- 12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
- 13. ETP sludge, process inorganic salt shall be disposed off to the TSDF.

(G) Green Belt

1. The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road

- sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
- 2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the EIA 1000 nos. of the trees shall be planted in the area of 4100 m2 area which will be 33% of total land area of project. As per following species and scheme. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

Sr. No.	Species	Quantity Location	Quantity Location
1.	Ashoka	150	Main Gate
2.	Neem	200	Adjacent plot
3.	Peepal	50	Main gate
4.	Morshree Trees	100	Boundary Wall
5.	Karanj	60	Boundary wall
6.	Saptaparni	100	Main gate
7.	Amaltas	70	Adjacent plot
8.	Putran Jeeva	50	Adjacent plot
9.	Lawsonia inermins (Heena tree)	70	Periphery
10.	Sitafal Tree	150	Between each group of
			4 trees in adjacent
	Total	1000	

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

- 1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- 2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
- 3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- 4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical

- examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
- 5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- 6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
- 7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP & Corporate Environment Responsibility

- 1. The proposed EMP cost is as capital cost Rs. 51.15 lakhs and 07.20 lakhs/year as recurring cost
- 2. Under CER activity, capital cost is Rs. 24.00 lakhs proposed for following activities.

	CORPORATE ENVIRONMENT RESPONSIBILITY			
	Due to falling in brownfield project we will invest 1% of the capital investment. (Capital Investment – 24 crores)			
1	Health Care & Social development - Medical Camps, Awareness camps for Oral hygiene, School Infrastructure development–Gandhwani, Bagh, Tanda, Kukshi.	12 Lakhs		
2	Free distribution of fruit bearing plant to near by villages- Bagh, Gandhwani, Kukshi, Tanda – Approx 6000 plants	12 Lakhs	24 Lakhs	

- 3. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- 4. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

- 5. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
- 6. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- 7. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

- 1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
- 2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- 3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- 4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- 5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

23. Case No 9414/2022 Shri Surendra Singh, R/o Bara, Tehsil Huzur, District Rewa (MP)-486006, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (6042 Cum per year) (Khasra No. 1/1, 1/3, 1/2/ka, 1/2/kha), Village - Tamri, Tehsil - Huzur, Dist. Rewa (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1, 1/3, 1/2/ka, 1/2/kha), Village - Tamri, Tehsil

- Huzur, Dist. Rewa (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व की 609 वीं बैठक दिनांक 07/12/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेद्र सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 779 दिनांक 04 / 04 / 2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत / संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 01.445 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल को प्रस्तुतीकरण हेत् अधिकृत किया गया था, जिनकी नेबिट एकीडिएशन सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 03/10/22 को समाप्त हो चुकी है । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल की वैधता 17/01/23 तक क्यू.सी.आई. के पत्र क्रमांक 2561 दिनांक 18 / 10 / 22 के माध्यम से बढा दी गई है जो प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान बीच से खुदी हुई है, गूगल बैक इमेज देखने पर ज्ञात होता है कि इस खदान पर 2014 तक खनन कार्य किया गया हैं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको यह खदान 2011 में 0.445 हे. क्षेत्र में (क्षमता 2000 घन मीटर प्रति वर्ष) स्वीकृत हुई थी तथा उस समय ई.सी. की आवश्यकता न होने के कारण उसे म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से चलाया गया था तथा बाद में डिया से ई.सी. प्राप्त की गई थी। वर्ष 2021 में नवीनीकरण के समय 01.00 हे. से कम क्षेत्र की खदान का नियमानुसार नवीनकरण न होने के कारण खदान् का क्षेत्रफल 1.00 हे. कर नया स्वीकृति आदेश दिनांक 04/04/22 को जारी हुआ तत्पश्चात् उनके द्वारा नवीन आवेदन मय अनुमोदित खनन् योजना के ई.सी. हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा कोई खनन् कार्य इसके पश्चात् नहीं किया। समिति ने अनुमोदित खनन् योजना का अवलोकन किया एवं पाया कि सरफेस मेप पर पुराना पिट नही दिखाया गया है जिससे परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि नहीं होती तथा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना ई.सी. के खनन् कार्य किया गया । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि संबंधित खनन अधिकारी से उपरोक्त संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जाये जिससे यह स्पष्ट हो सके की यह प्रकरण वायलेशन का नही है साथ ही परियोजना प्रस्तावक डिया से प्राप्त ई.सी. की शर्तो का पालन हेत् की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं दस्तावेजो को प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 24/01/2023 अपलोड कर दी गई है । प्रकरण को आज दिनांक 03/03/2023 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेद्र सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री श्री रहीस पटेल, मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल उपस्थित हुए ।

609 वीं बैठक द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक /176/खनिज/2023, रीवा दिनांक 19/01/2023 में बताया गया है कि पूर्व में श्री सुरेंद्र सिंह पटेल (में भवानी स्टोन क्रेशर) को दिनांक 17/06/2011 से 16/06/2021 अवधि तक स्वीकृत होकर संचालित थी उस समय पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने के कारण मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति से चल रही थी तथा बाद में डिया द्वारा पत्र क0. 74 दिनांक 29/09/2017 द्वारा 2000 घन मी. प्रतिवर्ष से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि डिया की शर्तों के पालन हेतु उनके द्वारा पूर्व 60 पौधें लगाये गये थे तथा नवम्बर, 2022 में 200 पौधें क्रय कर 130 लीज क्षेत्र में लगाये गये है तथा 70 पौधें ग्रामवासियों में वितरित किए गए हैं । इसके साथ—साथ गाँव वालों को शीतकाल के दौरान सीएसआर के तहत् कम्बल भी वितरित किए गए है तथा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदनमय फोटोग्राफ/दस्तावेज के ऑनलाईन अपलोड किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 6042 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.70 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.30 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम तमरी के शासकीय प्राथमिक स्कूल छात्रो के डिजिटल अध्यन हेतु प्रोजेक्टर 02	60000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ट्री गार्ड के साथ-	250
3	तमरी स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	50
4.	तमरी एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया !	500

कुल 1200

24. Case No 8852/2021 M/s Shrikrishandas Tikaram, Partner and Owner, Shri Ashwani Gautam, B-6 New ACC Colony, Katni MP Prior Environment Clearance for Bauxite and Fire Clay Quarry in an area of 1.04 ha. (14980 Cum per annum) (Khasra No. 1193, 1194, 1195), Village - Naikin, Tehsil - Rampur Naikin, Dist. Sidhi (MP) EIA Consultant: M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.

This is case of Fire Clay Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1193, 1194, 1195), Village - Naikin, Tehsil - Rampur Naikin, Dist. Sidhi (MP). 1.04 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 536 वीं दिनांक 17/12/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की पूर्व 612वीं बैठक दिनांक 15/12/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री ए.एस. चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान पूर्व से खुदी हुई हैं, जिसमें पानी भरा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान में 2014 तक (2001 से 2014 तक 22,689 टन खनिज का खनन्) खनन् कार्य किया गया है एवं उसके पश्चात से खनन पर्यावरणीय अभिस्वीकृति न होने के कारण बंद है तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आंवटित क्षेत्र के पूर्व दिशा में पानी भरा है, जिसमें संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 03 मीटर तक पानी भरा है. जिसे उत्तर दिशा में बनाये गये सेटलिंग टैंक में संग्रहित किया जायेगा तथा खनन कार्य के दौरान जल छिडकाव एवं वृक्षारोपण कार्य में उपयोग में लाया जायेगा । आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 100 मीटर तथा पश्चिम दिशा 300 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर एक मकान है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह मकान उनका स्वयं का है, जो साइट आफिस एवं वर्कर के रेस्ट शेल्टर के रूप में खनन के दौरान उपयोग में लाया जायेगा । आवंटित खनन क्षेत्र से होकर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह उनके आवंटित खनन् क्षेत्र तक पहुँच मार्ग है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में खनन् मैन्युअली किया जायेगा तथा ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसूनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा पेयजल की समस्या-नलकूप लगाने हेतु सुझाव, स्वास्थ्य शिविर, रोड़ मरम्मत एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. / सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सडक पर जल छिडकाव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना

एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता बॉक्साईट एवं फायर क्ले— 14,980 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.52 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 09.23 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 04.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

	Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target			
SN	Issues	Cost in Rs lakhs		
1	Two handpump at Aganwadi center and School	3.00		
2	Free health camp for villagers in once in a year	0.50		
3	Maintenance of Road (70m length)	0.10		
4	Donation in terms article to School/Aganwadi of village Naikin as per requirement (one time)	1.00		
	Total	4.60		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2120 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Phase	Location	Name of Tree/ shrub/Herbs	No. of Plants
•	barrier zone (421m)	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Khamar, Slips of Agaive Americana Gattayon and seeds of Subabul and other local species etc. Row To Row Distance: 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	
3 rd year to 7 th year		Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Katang Bans, Khamar and other local species etc.Row To Row Distance: 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	
		Total	1200
1 st Year	Along the road	Neem, Kadam, Aam, Munga	20
	For distribution of villagers	Neem, Jamun, Jam, Anwla, Aam, Munga	1000
		Total	2120

प्रकरण में सिया की 764वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 को अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र पूर्व से खुदी हुई है एवं खनन् कार्य हेतु ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । अतः प्रकरण में पूर्व से खुदे हुए खदान क्षेत्र (पिट) में बिना ब्लास्टिंग के उत्खनन् कैसे संभव होगा । अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मित से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संबंध में प्रकरण सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 02/03/2023 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री ए. एस. चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, (ऑनलाईन) मेसर्स किएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि बॉक्साइड एवं फायरेक्ले सॉफ्ट नेचर के मिनरल हैं, जिनके खनन् हेतु ब्लॉस्टिंग की आवश्यकता नहीं होता है । इन खनिजों का खनन् रॉक ब्रेकर व जे.सी.बी. के माध्यम से किया जाता है, जो अनुमोदित खनन् योजना अनुसार है ।

प्रकरण के परीक्षण पाया कि पूर्व की 612वीं बैठक दिनांक 15/12/22 में 'खदान पूर्व से खुदी हुई हैं, जिसमें पानी भरा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 'इस प्रकरण में खनन् मैन्युअली किया जायेगा तथा ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है''। अतः समिति ने चर्चा उपरांत सेक की पूर्व 612वीं बैठक दिनांक 15/12/22 को की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

25. अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा -

अ. सिनित के सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के कई प्रकरणों में यह देखने में आ रहा है कि पूर्व में खनन् की गई कई खदानों जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है / उनकी अविध समाप्त हो गई है के गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा ज्ञात होता है, कि इनमें जनधन एवं पशुधन की सुरक्षा हेतु आवश्यक तार फेंसिंग दृष्टिगत नहीं होते तथा यह स्थिति उचित नहीं है, क्योंकि इनकी गहराई को देखते हुए कभी भी दुर्घधना की संभावन से इंकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकारों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि वे खदानें जिनकी अविध समाप्त हो जाती हैं, उनकी तार फेंसिंग समय के साथ—साथ खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है । कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी ऐसी खदानों में इुई जनहानि की सूचना प्रकाशित होती रहती हैं, अतः सिनित की अनुशंसा है कि सिया स्तर से ऐसी खदानों की नियमित निगरानी हेतु संबंधित जिला कलेक्टर / खनन् अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए जाये, जिससे वे यह सुनिश्चित करें कि सभी खदानों की फेंसिंग निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हुई हैं तािक यह फेंसिंग खनन अविध समाप्त होने के पश्चात भी बनी रहे।

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

- PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure-'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.

- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोंबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चिंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -

नोट 5:- भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।